

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नहीं की गई है।

ह0/

प्रयोक्ता एजेन्सी
महायुक्त अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला (अरकोट)

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0बि0वि
अरकोट (पिथौरागढ़)

ह0/ जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र
तहसील- धारचूला (पिथौरागढ़)

ह0/ जिलाधिकारी
धारचूला

तहसीलदार
धारचूला

उप जिलाधिकारी
धारचूला